

**उत्तर प्रदेश शासन**  
**औद्योगिक विकास अनुभाग-4**  
**संख्या-3260/77-4-24/58 अपील/24**  
**लखनऊ: दिनांक- 20 जून, 2024**

मै0 सिक्का इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 ... पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा ... विपक्षीगण

यह पुनरीक्षण याचिका मै0 सिक्का इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 द्वारा नोएडा में आवंटित भूखण्ड संख्या-GH-01/A, Sector-143B, क्षेत्रफल 50308.92 वर्गमीटर के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये डिमाण्ड नोटिस दिनांक 16.03.2023 के विरुद्ध दिनांक 06.03.2024 को उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट एक्ट, 1973 की धारा 41(3) सपटित उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 12 के अंतर्गत दाखिल की गई है। प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका के संबंध में प्राधिकरण के पत्र दिनांक 10.04.2024 के द्वारा आख्या उपलब्ध कराई गई है। इस याचिका के सम्बन्ध में दिनांक 09.05.2024 को सुनवाई बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्राधिकरण की ओर से आभासी रूप में श्रीमती वन्दना त्रिपाठी, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा तथा याची संस्था की ओर से आभासी रूप में श्री जी.एस. सिक्का, निदेशक एवं श्री अक्षय मोहिले, अधिवक्ता द्वारा एवं श्री अभिषेक खरे, अधिवक्ता द्वारा भौतिक रूप में प्रतिभाग किया गया।

2. पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा यह अवगत कराया गया है कि भूखण्ड संख्या GH-01, Sector-143B का आवंटन एक कंशोरसियम के पक्ष में किया गया था। तदोपरांत प्राधिकरण की अनुमति से इस भूखण्ड का उप-विभाजन किया गया एवं भूखण्ड संख्या GH-01/A, Sector-143B, क्षेत्रफल 53911.33 वर्ग मीटर का आवंटन दिनांक 28.06.2011 को पुनरीक्षणकर्ता संस्था के पक्ष में किया गया है। आवंटन के उपरांत प्रश्नगत भूखण्ड क्षेत्रफल 50,308.92 वर्ग मीटर की लीज डीड दिनांक 10.08.2011 को निष्पादित की गई है, जिसके अनुसार भूखण्ड का कुल प्रीमियम रू0 1,18,60,32,789/- है जिसके 10 प्रतिशत का भुगतान तत्समय कर दिया गया था एवं अवशेष धनराशि का भुगतान 16 अर्द्धवार्षिक किश्तों में किया जाना अपेक्षित था। पुनरीक्षणकर्ता

संस्था द्वारा इस भूखण्ड के सापेक्ष कुल रू0 52 करोड़ का भुगतान प्राधिकरण के पक्ष में किया जा चुका है।

3. पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा यह अवगत कराया गया है कि दिनांक 10.08.2011 को प्राधिकरण द्वारा कब्जा प्रमाण पत्र क्षेत्रफल 50,308.92 वर्ग मीटर का उपलब्ध कराया गया है। यह कब्जा मात्र paper possession था एवं वास्तविक भौतिक कब्जा पुनरीक्षणकर्ता संस्था को नहीं उपलब्ध कराया जा सका था। तदोपरांत प्राधिकरण द्वारा दिनांक 22.12.2011 को अवशेष क्षेत्रफल 3602.41 वर्ग मीटर की supplementary lease deed की गई है एवं supplementary lease deed के अनुसार भूखण्ड का कुल प्रीमियम रू0 1,27,09,59,605/- है, जिसके 10 प्रतिशत का भुगतान तत्समय किया जा चुका था एवं अवशेष धनराशि का भुगतान 16 अर्द्धवार्षिक किश्तों में किया जाना अपेक्षित था।

4. पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा यह अवगत कराया गया है कि प्राधिकरण द्वारा अधिसूचना दिनांक 16.06.2008 के द्वारा ग्राम शाहदरा की ज्यादातर भूमि का अधिग्रहण किया गया था, किन्तु खसरा संख्या-568 का अधिग्रहण नहीं किया जा सका था। यह खसरा संख्या प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूमि के मध्य स्थित था। इस खसरा संख्या का क्षेत्रफल 17060.33 वर्ग मीटर था जो श्री साहब सिंह एवं श्री नवाब सिंह के स्वामित्व में था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जो भूमि प्राधिकरण द्वारा supplementary lease deed के द्वारा आवंटित की गई थी, वह विवादित भूमि थी एवं आवंटित भूमि पर पहुंच मार्ग उपलब्ध न होने के कारण पूरे भूखण्ड का विकास नहीं किया जा सका था। इसके बावजूद प्राधिकरण द्वारा इस भूखण्ड के संबंध में विलम्ब शुल्क एवं ब्याज की धनराशि की मांग पुनरीक्षणकर्ता संस्था से लगातार की जाती रही है।

5. पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा यह अवगत कराया गया है कि प्राधिकरण क्षेत्र के भूमि अधिग्रहण के प्रकरणों का निस्तारण मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 37443/2011 गजराज एवं अन्य बनाम उ0 प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.10.2011 के द्वारा किया गया था, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा सभी भू-स्वामियों को 64.70 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर की देयता का निर्धारण किया है एवं इसके साथ ही 10 प्रतिशत विकसित आबादी भूमि भी देने के आदेश दिये गये हैं। तदोपरांत मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सावित्री देवी बनाम उ0 प्र0 सरकार एवं अन्य में पारित आदेश द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश को बहाल रखा गया है।

6. पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा यह अवगत कराया गया है कि जब उसके द्वारा आवंटित भूखण्ड पर निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ की गई, तो स्थानीय

कृषकों द्वारा इसका प्रतिरोध किया गया। इसी क्रम में पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक 29.10.2015 द्वारा इस भूखण्ड पर निर्विवादित भौतिक कब्जा होने के दिनांक तक की अवधि के शून्य काल का लाभ दिये जाने की याचना की गई है। इसी प्रकार पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा वर्ष 2016 से वर्ष 2019 के मध्य शून्य काल का लाभ दिये जाने के कई प्रत्यावेदन दिये गये हैं, जिन पर प्राधिकरण द्वारा निर्णय नहीं लिया जा सका है।

7. पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि प्राधिकरण क्षेत्र में प्रभावित परियोजनाओं के लिए शून्य काल की नीति दिनांक 28.03.2016 लागू की गई थी। इस नीति के क्रम में संस्था द्वारा दिनांक 25.09.2017 एवं दिनांक 07.11.2017 को प्रत्यावेदन दिये गये हैं। इन प्रत्यावेदनों में संस्था द्वारा यह अवगत कराया गया है कि क्षेत्रफल 3602.41 वर्ग मीटर का अधिग्रहण नहीं हो पाया था एवं यह भूखण्ड संस्था को आवंटित भूखण्ड के मध्य में स्थित था, इस प्रकार कुल क्षेत्रफल 17,060.33 वर्ग मीटर भूमि पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता था।

8. पुनरीक्षणकर्ता द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उसके शून्य काल के प्रत्यावेदनों का निस्तारण न होने पर संस्था द्वारा रिट याचिका संख्या 7963/2018 दायर की गई जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 27.02.2018 द्वारा यह निर्देशित किया है कि संस्था के प्रत्यावेदन का निस्तारण तीन सप्ताह के अंदर किया जाए। इस आदेश के क्रम में पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा अपने पत्र दिनांक 03.04.2018 एवं दिनांक 15.05.2018 द्वारा शून्य काल का लाभ दिये जाने, समय विस्तारण किये जाने एवं लीज रेंट से अवमुक्त किये जाने के प्रत्यावेदन दिये गये हैं।

9. पुनरीक्षणकर्ता द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उपरोक्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण प्राधिकरण द्वारा अपने आदेश दिनांक 20.02.2019 द्वारा किया गया है एवं पुनरीक्षणकर्ता संस्था को आंशिक भूमि पर शून्य काल का लाभ दिया गया है। इस आदेश द्वारा प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूखण्ड का उप-विभाजन GH-01/A/1 क्षेत्रफल 36,851 वर्ग मीटर एवं GH-01/A/2 क्षेत्रफल 13,457.92 वर्ग मीटर में कर दिया गया है।

10. पुनरीक्षणकर्ता द्वारा यह अवगत कराया गया है कि संस्था द्वारा अपने पत्र दिनांक 27.02.2019 के द्वारा प्राधिकरण से दोनो उपविभाजित भूखण्डों के सम्बन्ध में fresh payment plan निर्गत किये जाने की याचना की गई है जो प्राधिकरण द्वारा दिनांक 22.05.2019 को निर्गत कर दिये गये हैं। इसी क्रम में प्राधिकरण द्वारा दिनांक 20.08.2019 को भूखण्ड संख्या GH-01/A/1 के संबंध में धनराशि रु0 152.5 करोड़ एवं भूखण्ड संख्या GH-01/A/2 के संबंध में

धनराशि रू0 96.33 करोड़ जमा कराने के आदेश दिये गये हैं। इन डिमाण्ड नोटिस का प्रतिउत्तर संस्था द्वारा अपने पत्र दिनांक 26.08.2019 के द्वारा किया गया है, जिसमें उसके द्वारा यह दर्शाया गया है कि प्राधिकरण द्वारा जो डिमाण्ड नोटिस जारी किया गया है, वह गलत है।

11. पुनरीक्षणकर्ता द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उपरोक्त के विरुद्ध संस्था द्वारा रिट याचिका संख्या 10857/2021 दायर की गई है जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 19.07.2021 के द्वारा प्राधिकरण को अतिरिक्त प्रतिकर की देयता के सम्बन्ध में कोई उत्पीड़नात्मक कार्यवाही करने से निषिद्ध किया गया है।

12. पुनरीक्षणकर्ता द्वारा यह अवगत कराया गया है कि तदोपरांत प्राधिकरण द्वारा दिनांक 16.03.2023 को मांग पत्र जारी कर कुल धनराशि रू0 2,07,03,84,135/- की मांग की गई। पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा यह याचना की गई है कि उसे क्षेत्रफल 36.851 वर्ग मीटर का निर्विवादित कब्जा दिनांक 20.02.2019 को ही मिल पाया था, किन्तु प्राधिकरण द्वारा इस अवधि का शून्य काल का लाभ नहीं दिया गया है। इसी के क्रम में प्राधिकरण द्वारा कुल क्षेत्रफल 17,060.33 वर्ग मीटर का भी निर्विवादित भौतिक कब्जा नहीं उपलब्ध कराया गया था, जो कि कुल आवंटित क्षेत्रफल का 33.91 प्रतिशत होता है। इस प्रकार पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा यह निवेदन किया गया है कि उसे आवंटन के दिनांक 28.06.2011 से दिनांक 20.02.2019 तक की अवधि के पूर्ण शून्य काल का लाभ प्रदान किया जाए।

13. पुनरीक्षणकर्ता द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि उसे प्राधिकरण क्षेत्र में विभिन्न अवधियों में पारित मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के स्थगनादेशों में उल्लिखित अवधि का शून्य काल का लाभ प्रदान किया जाए, कोविड महामारी के कारण 2 वर्ष के शून्य काल का लाभ एवं शासनादेश संख्या 7774/77-4-2023-6011/2023 दिनांक 21.12.2023 के अंतर्गत भी वांछित अनुतोष प्रदान किया जाए।

14. प्राधिकरण द्वारा यह अवगत कराया गया है कि प्राधिकरण ने दिनांक 20.09.2010 को सात कम्पनियों के समूह को गुप हाउसिंग भूखण्ड सं0-जीएच-01, सेक्टर-143बी, क्षेत्रफल 77547.94 वर्ग मीटर का आवंटन किया गया। Consortium के अनुरोध पर प्राधिकरण द्वारा उक्त भूखण्ड को तीन भागों में विभाजित करने की अनुमति प्रदान की गई। प्राधिकरण ने उप विभाजित भूखण्ड सं0-जी एच-01/ए, सेक्टर-143बी, क्षेत्रफल 53911.33 वर्ग मीटर का आवंटन पत्र दिनांक 28.06.2011 को रिवीजनकर्ता को जारी किया गया। प्राधिकरण ने रिवीजनकर्ता के पक्ष में भूखण्ड सं0-जी एच-01/ए,

सेक्टर-143बी, क्षेत्रफल 50308.92 वर्ग मीटर का पट्टा प्रलेख दिनांक 10.08.2011 को निष्पादित किया गया तथा दिनांक 22.12.2011 को रिवीजनकर्ता के पक्ष में पूरक पट्टा प्रलेख निष्पादित किया गया।

15. प्राधिकरण द्वारा यह अवगत कराया गया है कि प्राधिकरण ने दिनांक 10.08.2011 को रिवीजनकर्ता को उक्त भूखण्ड के क्षेत्रफल 50,308.92 वर्ग मीटर का कब्जा प्रदान कर दिया गया था। प्राधिकरण द्वारा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा याचिका सं0-7963/2018 में पारित आदेश के अनुपालन में रिवीजनकर्ता को आदेश दिनांक 20.02.2019 के द्वारा 3602.41 वर्ग मीटर के साथ-साथ भूखण्ड के 13457.92 वर्ग मीटर भूमि पर रिवीजनकर्ता को आवंटन की तिथि से वर्तमान तक की अवधि का शून्य अवधि का लाभ प्रदान किये जाने के आदेश पारित किये गये थे। रिवीजनकर्ता का यह कथन कि अवशेष भूमि 36,851 वर्ग मीटर भूमि किसानों के विवाद के कारण unusable थी, सही नहीं है।

16. प्राधिकरण द्वारा यह अवगत कराया गया है कि रिवीजनकर्ता का प्रकरण N.G.T. द्वारा पारित आदेश के अनुसार ओखला बर्ड सेंचुरी की 10 कि.मी. की परिधि के अन्दर नहीं आता था। इसलिए रिवीजनकर्ता का N.G.T. द्वारा पारित आदेश के क्रम में शून्य अवधि का लाभ प्रदान नहीं किया गया। प्राधिकरण ने आदेश दिनांक 20.02.2019 के द्वारा उक्त भूखण्डों का भूखण्ड सं0-जीएच-01/ए/1 सेक्टर-143बी, नोएडा, क्षेत्रफल 36,851 वर्गमीटर व भूखण्ड संख्या-जी एच-01/ए/2, सेक्टर-143बी, नोएडा, क्षेत्रफल 13,457.92 वर्ग मीटर में उप विभाजित करने के आदेश पारित किये गये तथा प्राधिकरण ने पत्र दिनांक 22.05.2019 के द्वारा दोनो भूखण्डों के Payment Plan को रिवीजनकर्ता को प्रेषित किया गया।

17. प्राधिकरण द्वारा यह अवगत कराया गया है कि वर्क सर्किल-8 के वरिष्ठ प्रबंधक ने पत्र दिनांक 15.01.2019 के द्वारा ग्रुप हाउसिंग विभाग को अवगत कराया गया कि भूखण्ड संख्या-जीएच-01/ए/2, सेक्टर-143बी, नोएडा पर आवंटी द्वारा कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है, अपितु भूखण्ड पर लेबर हेतु अस्थायी झुग्गियां निर्मित हैं एवं आर0एम0सी0 प्लांट लगा हुआ है। भूखण्ड संख्या -जीएच-01/ए/2 सेक्टर-143बी, नोएडा तक पहुंच मार्ग/सर्विस रोड का निर्माण कार्य वर्ष 2012-13 के दौरान हुआ है।

18. प्राधिकरण द्वारा यह अवगत कराया गया है कि रिवीजनकर्ता ने भूखण्ड का पूर्ण कब्जा प्राप्त न होने के कारण शून्य अवधि दिये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका सं0-7963/2018 योजित की गयी थी, जिसमें मा0 न्यायालय में दिनांक 27.02.2018 को आदेश पारित कर

याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन को निस्तारित करने के लिये प्राधिकरण को आदेशित किया गया था। प्राधिकरण के तत्कालीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा दिनांक 20.02.2019 को आदेश पारित कर रिवीजनकर्ता का प्रत्यावेदन निस्तारित कर दिया गया था। आदेश का सारवान भाग निम्नवत है:—

“3602.41 वर्गमीटर भूमि के अनार्जित/विवादित होने के कारण आवंटी 3602.41 वर्गमीटर भूमि के साथ-साथ परियोजना अभियंता, वर्क सर्किल 8 की रिपोर्ट दिनांक 15.01.2019 के अनुसार भूखण्ड के 13457.92 वर्गमीटर भूमि पर निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं कर सका। 3602.41 वर्गमीटर भूमि जो अनार्जित/विवादित होने के कारण 3602.41 वर्गमीटर भूमि की मद में आवंटी द्वारा जमा की धनराशि का समायोजन अन्य क्षेत्रफल में करते हुए 3602.41 वर्गमीटर भूमि के साथ-साथ भूखण्ड के 13457.92 वर्गमीटर भूमि पर आवंटी को आवंटन की तिथि से वर्तमान तक की अवधि को शून्य अवधि का लाभ दिये जाने के आदेश दिये जाते हैं।”

19. मेरे द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई की गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का परीक्षण किया गया। प्रश्नगत भूखण्ड क्षेत्रफल 53,911.33 वर्ग मीटर भूमि का आवंटन पुनरीक्षणकर्ता संस्था के पक्ष में दिनांक 28.06.2011 को किया गया था एवं तदोपरांत दिनांक 10.08.2011 को क्षेत्रफल 50308.92 वर्ग मीटर भूमि की लीज डीड निष्पादित की गई थी। तदोपरांत दिनांक 22.12.2011 को अतिरिक्त क्षेत्रफल 3602.41 वर्ग मीटर की supplementary lease deed निष्पादित की गई। प्राधिकरण की आख्या से यह स्पष्ट है कि क्षेत्रफल 3602.41 वर्गमीटर की भूमि अनार्जित/विवादित थी। इस भूमि का कब्जा प्राधिकरण द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सका था एवं इसी कारणवश संस्था द्वारा क्षेत्रफल 13457.92 वर्ग मीटर भूमि पर भी निर्माण कार्य नहीं किया जा सका था। इसी को देखते हुए प्राधिकरण द्वारा अपने आदेश दिनांक 20.02.2019 के द्वारा क्षेत्रफल 3602.41 वर्ग मीटर भूमि के साथ साथ क्षेत्रफल 13457.92 वर्ग मीटर भूमि पर संस्था को आवंटन की तिथि से आदेश पारित होने की तिथि तक की अवधि के शून्य काल का लाभ प्रदान किया गया है।

20. पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा यह याचना की गई है कि प्राधिकरण के आदेश दिनांक 20.02.2019 में वर्णित भूमि के अतिरिक्त अवशेष भूमि 36,851 वर्ग मीटर पर भी उसे शून्य काल का लाभ प्रदान किया जाए। ऐसे शून्य काल का लाभ प्रदान करने के लिए संस्था द्वारा यह अवगत कराया गया है कि यह भूमि किसानों के विवाद के कारण unusable थी। इसी संबंध में संस्था द्वारा गजराज एवं अन्य बनाम उ० प्र० सरकार एवं अन्य तथा सावित्री देवी बनाम

उ० प्र० सरकार व अन्य में पारित मा० न्यायालयों के आदेश का उल्लेख भी किया गया है। इन आदेशों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि पुनरीक्षणकर्ता संस्था को आवंटित भूमि पर किसी प्रकार का स्थगनादेश था, जिसके कारण संस्था द्वारा इस भूमि पर निर्माण कार्य नहीं किया जा सका था। इसके विपरीत प्राधिकरण द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि उसके द्वारा दिनांक 10.08.2011 को ही कुल क्षेत्रफल 50,308.92 वर्ग मीटर का कब्जा पुनरीक्षणकर्ता संस्था के पक्ष में दिया जा चुका था। चूंकि प्राधिकरण के आदेश दिनांक 20.02.2019 में वर्णित अवशेष क्षेत्रफल 36,851 वर्ग मीटर के संबंध में कोई स्थगनादेश पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, ऐसी दशा में पुनरीक्षणकर्ता संस्था को पूर्ण क्षेत्रफल पर शून्य काल का लाभ दिये जाने का औचित्य नहीं होता है।

21. प्राधिकरण द्वारा अपनी आख्या में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यह प्रकारा ओखला बर्ड सेंचुरी के 10 कि.मी. की परिधि के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए पुनरीक्षणकर्ता संस्था को मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 14.08.2013 में वर्णित शून्य काल की अवधि का लाभ नहीं दिया जा सकता है। जहाँ तक air quality management के संबंध में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के कार्य रोकने के आदेश का प्रश्न है, तो ऐसे आदेश मात्र business risk की श्रेणी में आएंगे एवं ऐसे आदेशों पर पुनरीक्षणकर्ता संस्था को शून्य काल का लाभ दिये जाने का औचित्य नहीं बनता है।

22. प्राधिकरण द्वारा अपनी आख्या में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि कोविड महामारी के दृष्टिगत शासनादेश के क्रम में पुनरीक्षणकर्ता को दिनांक 20.04.2020 से दिनांक 21.03.2021 तक भवन निर्माण कार्य पूर्ण करने, परियोजना पूर्ण करने हेतु एक वर्ष का समय वृद्धि का लाभ प्रदान किया जा चुका है। इस प्रकार याची संस्था को कोविड महामारी से सम्बन्धित अन्य किसी शून्य काल का लाभ दिये जाने का औचित्य नहीं बनता है।

23. प्राधिकरण द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि संस्था को शासनादेश संख्या 7774/77-4-2023-6011/2023 दिनांक 21.12.2023 के क्रम में अवशेष देयकों की पुनर्गणना की गई है एवं कुल देय धनराशि का 25 प्रतिशत जमा करने हेतु निर्देशित किया है, किंतु कुल अतिदेय धनराशि संस्था द्वारा प्राधिकरण के पक्ष में जमा नहीं कराई गई।

24. उक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि प्राधिकरण द्वारा पुनरीक्षणकर्ता संस्था के प्रत्यावेदनों का निस्तारण कर वांछित शून्य काल का लाभ पूर्व में ही प्रदान किया जा चुका है एवं अब अन्य किसी अवधि के शून्य काल का लाभ

दिये जाने की देयता नहीं बनती है। तदनुसार पुनरीक्षणकर्ता संस्था की याचिका बलहीन होने के कारण एतद्वारा निरस्त करते हुए निस्तारित की जाती है।

अनिल कुमार सागर  
प्रमुख सचिव

संख्या:—3260LU/77-4-24/58 अपील/24 तददिनांक—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा।
2. अधिकृत हस्ताक्षरी, मे० सिक्का इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा० लि०, सी-60, प्रीत विहार, दिल्ली-110085।
3. मो० वली अब्बास, निदेशक, आई.टी. इन्वेस्ट यू०पी० को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से



(जयवीर सिंह)  
संयुक्त सचिव